

फर्द अहकाम

सचिव

बनाम जम्बीर

म न्यायालय

स संख्या

12/1/2023

12/1/2023

दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 15/1/24 को पत्रवाली पेश हुई। अभिभाषक मंद द्वारा आज कन्वोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण न्यायाधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रवाली पूर्वानुसार दिनांक 01/5/24 को पेश होगी। 02/20/24 को पत्रवाली पेश किये गये हैं। आज दिनांक 01/5/24 को पत्रवाली पेश हुई। अभिभाषक मंद द्वारा आज कन्वोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण न्यायाधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रवाली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/24 को पेश होगी। 22/5/24 पत्रवाली पेश हुई। पक्षीय अभिभाषक उपस्थित। प्राची/वाही का मूलवाद विधि विरुद्ध होने से खारिज किया गया है। प्राप्ता अवधि निषेधाज्ञा मूलवाद का ही भाग है। मूलवाद खारिज हो जाने पर प्राप्ता की अडेले चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राची/वाही का प्राप्ता अवधि निषेधाज्ञा दिनांक 01/1/24 को जारी अंतरिम अवधि निषेधाज्ञा को अनास्त करने हुए खारिज किया जाता है। पत्रवाली फैसला शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर डाखिल रहता है। निर्णय आज दिनांक 22/5/24 को लिखा जाकर चोर इज्जतान फुताया गया।	

सहायक

जयपुर शहर विभाग